संख्या–529 / 22–4–2011–48(3) / 10टी0सी0–1

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
उप सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक– 17 फरवरी, 2011

विषयः– केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में बैरकों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4359 / नम–4(97) दि–16–2–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2303 / 22–4–2010–48(3) / 10टी0सी0–1, दिनांक–10.11.2010 द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में 30 बन्दी क्षमता की डबल स्टोरी दो मंजिला 08 नग (मानकीकरण के अनुसार 120 बंदी क्षमता की दो मंजिला बैरक 02 नग) बैरकों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में रु0–2,35,13,000.00 (रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रु0–1,17,00,000.00 (रूपये एक करोड़ सत्रह लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक–16–2–2011 में किये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय उक्त निर्माण कार्यो हेतु अवशेष रु0–1,18,13,000.00 (रूपये एक करोड़ अट्ठारह लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 25 के लेखा शीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–051–निर्माण–03–कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक / मद में उपलब्ध प्रावधान से ही वहन किया जायेगा।

3– उक्त शासनादेश दिनांक–10.11.2010 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।

....2

संख्या–529(1)/22–4–2010–तद् दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल–आडिट), उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र.,इलाहाबाद।
3– प्रबंध, निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,उ0प्र, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
6– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8– परियोजना प्रबंधक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, फर्रूखाबाद।
9– वेबमास्टर, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
10– गृह (पुलिस) अनुभाग–15
11– वित्त(व्ययनियंत्रण)अनुभाग–12/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
12– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
उप सचिव।